उत्तर पदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
संख्या–635/79–6–2011
लखनऊ: दिनांक: 07 अप्रैल, 2011

विज्ञप्ति/संशोधन

प्रदेश के राजकीय/स्थानीय निकाय/शासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों तथा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के रूप में उच्चीकृत शासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा–1 से 5 एवं 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित किए जाने के संदर्भ में शासनादेश संख्या: 1191/79–6–2010 दि0 12.08.2010 द्वारा व्यवस्था की गयी थी। उक्त शासनादेश दिनांक 12.08.2010 के द्वारा की गयी वर्तमान व्यवस्था को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर निम्न संशोधित व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है:–

वर्तमान व्यवस्था	सशोधित व्यवस्था
अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु **संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक तथा अध्यापक–अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष के संयुक्त नाम से खाता खोला जायेगा** तथा तद्नुसार संयुक्त हस्ताक्षर से ही संचालित किया जायेगा। इस प्रकार नामित दोनों ही व्यक्ति अपने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत को प्राप्त करने एवं छात्रों को गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के निर्धारित अभिलेखों के रख–रखाव की जिम्मेदारी उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की होगी	अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु **संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक– अभिभावक एसोसिएशन के अध्यक्ष के संयुक्त नाम से खाता खोला जायेगा** तथा तद्नुसार संयुक्त हस्ताक्षर से ही संचालित किया जायेगा। इस प्रकार नामित दोनों ही व्यक्ति अपने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत को प्राप्त करने एवं छात्रों को गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के निर्धारित अभिलेखों के रख–रखाव की जिम्मेदारी उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की होगी

2– शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2010 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

अनिल संत
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3–निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6–समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उत्तर प्रदेश।
7–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

u.o/d>Edu-6/2010/Razi